न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी— डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादी
श्री ओटाराम पुत्र श्री भीखाजी, जाति कुम्हार, निवासी सांतपुर, तहसील आबूरोड		श्री अशोक कुमार पुत्र भीखाजी, जाति कुम्हार, निवासी सांतपुर, तहसील आबूरोड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 91, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या 68/2013

दिनांक 03—02—2021

निर्णय

यह कि वादी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 91, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा सांतपुर पटवार हल्का सांतपुर तहसील आबूरोड में वादी के स्वामित्व कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि निम्न खसरा नम्बरान रकबा की स्थित है।

खसरा नम्बर	रकबा (बीघा—बिस्वा)	किस्म
258 मी.	06—16	चाही जाव
259 मी.	02—12	चाही जाव
260	00—13	चाही जाव
कुल रकबा	10—01	
257	00—08	गै.मु.चाह

(वादी का 3/4 हिस्सा)

यहकि वादी विकलांग लंगडा व्यक्ति है, वादी ने अपने स्वमित्व हिस्से की कृषि भूमि का विभाजन कर अलग खाता खुलवाने बाबत श्रीमान सहायक कलेक्टर महोदय आबूपर्वत में वाद दायर करने पर श्रीमान न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित करने पर राजस्व रेकर्ड में डिक्री अनुसार अंकन करवाने पर प्रतिवादी वादी से रंजिश रखता है। प्रतिवादी हमेशा वादी की भूमि हडपने की बदनियत रखता है। प्रतिवादी ने पूर्व में भी सन् 1997 में भी वादी की कृषि भूमि पर अवेध अतिक्रमण करने के कारण वादी को काफी क्षति कारित होने से वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध आप श्रीमान न्यायालय में वाद दायर करने पर श्रीमान न्यायालय से प्रतिवादी को अपना अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्णय डिक्री पारीत होने से प्रतिवादी ने अपना अतिक्रमण हटाकर वादी को कब्जा दे दिया था। प्रतिवादी ने वादी की कृषि भूमि को पुनः हडपने की बदनियति से वादी की कृषि भूमि की मेड को प्रतिवादी ने दो माह पूर्व हल से खेडाई कर कृषि भूमि पर जबरन अवैध अतिक्रमण कर वादी को अपने इस खेत में प्रवेश करने से रोक रहा है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादी को अतिक्रमण हटाने की समझाईश करने उपरान्त भी प्रतिवादी ने वादी की कृषि भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाकर खरीब की फसल वरीयाली व लौकी उगाई है। वादी ने अपना कृषि भूमि के सिंचाई हेतु खसरा नम्बर 257 की भूमि पर कुंए पर अपने नाम से विधुत कनेक्शन लेकर विधुत मोटर लगा रखी है। प्रतिवादी अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर फसल सिंचाई हेतु कुंए से पानी लेने वादी के स्वामित्व की मोटर का तीन दिन उपयोग करता है, तीन दिन बाद वादी तीन दिन उपयोग करता है इसी क्रम में वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर कुंए के पानी से फसल की सिंचाई करते है। विधुत बिल में आई रकम में प्रतिवादी आधा हिस्सा देता है, आधा हिस्सा वादी देता है। वादी को वाद वर्णित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओं [illegible] के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कानूनन हक अधिकार है कि प्रतिवादी से [illegible] भूमि की आय की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने व प्रतिवादी को कृषि भूमि से बेदखल [illegible] द्वारा अपनी कृषि भूमि के अलावा अन्य कृपकों की पडौस में स्थित भूमि पर [illegible] के लिए इस वाद पत्र को पेश करने के अलावा और कोई उपाय न होने से यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:50:32 IST
Reason: SelfAttested

——2

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

हमने प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये। प्रतिवादी को जारी सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर वादी के कथन को अस्वीकार किया और कथन किया कि प्रश्नगत आराजी वादी एवं प्रतिवादी को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार मे प्राप्त हुई थी, जिसमे दोनो का बराबर बराबर हक व हिस्सा था व है। तथा सम्पूर्ण कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी वादी के सजग ज्ञान में बिना किसी आपत्ति व ऐतराज के शांतिपूर्वक भौतिक कब्जे में रहकर लगातार खेती करता आ रहा है। विकल्प में उक्त अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी प्रतिवादी स्वतः विधि अनुसार खातेदार घोषित हो चुका है।

प्रतिवादी ने वादी के विरूद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के पिता स्व0 श्री भीखाजी का निधन आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुका है, के तीन भाई कमशः रूपा पुत्र भीखा, प्रेमा पुत्र खुमा, लाला पुत्र खुमा हुए। लाला का देहान्त हो जाने से उसके एक मात्र वारीस वरदा पुत्र लाला हुआ। उक्त चारो भाईयो की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम सांतपुर मे स्थित थी। जिसके पुराने खसरा संख्या कमशः 207, 208, 209, 210 व 211 थे, जिनका रकबा कमशः 11 बीघा 02 विस्वा, 03 बीघा 14 विस्वा, 13 बीघा 14 विस्वा एवं 13 बीघा 03 विस्वा एवं 01 बीघा 09 विस्वा कुल 43 बीघा थी। किन्तु राजस्व रेकर्ड मे स्व0 भीखा एवं स्व0 लाला का नाम दर्ज हुआ था। तथा शेष दो भाई रूपा व प्रेमा का नाम दर्ज नही हुआ था जिस पर आपसी सहमति से बंटवारा कर रूपा व प्रेमा को उनके हिस्से की लगभग 06 बीघा 18 विस्वा कृषि भूमि प्रत्येक को देकर उनका खाता अलग करवा दिया था और स्व0 भीखा तथा स्व0 लाला का खाता संयुक्त था। श्री लाला की मृत्यु हो जाने पर श्री वरदा व उसकी माता का पालन पोषण स्व0 भीखा ने ही किया था। तथा श्री वरदा का विवाह भी स्व0 भीखा ने ही अपने व्यय से किया था। इस प्रकार स्व0 वरदा एवं स्व0 भीखा के नये नाम की 13 बीघा 16 विस्वा कृषि भूमि थी। ग्राम सांतपुर की उक्त वर्णित नये नाप व नये खसरा नंबर की समस्त कृषि भूमि जो सेटलमेन्ट के बाद राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की गई थी, के नये खसरा संख्या 257, 258, 259, 260 की कृल रकबा 13 बीघा 16 विस्वा थी। जिसे प्रतिदावे में विवादित भूमि कहा गया है। प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर तद्नुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कराने की घोषणा की डिकी कराने का कथन किया है।

उक्त वाद मे पक्षकारान दिनांक 27.01.2021 को राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय में हम वादी ओटाराम पुत्र स्व. श्री भीखाजी एवं प्रतिवादी अशोक कुमार पुत्र श्री स्व. भीखा जी जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी कुम्हार मोहल्ला सांतपुर तहसील आबूरोड की ओर से आपसी सहमति से यह राजीनामा निम्न अनुसार पेश करते है कि ग्राम सांतपुर तहसील आबूरोड में वादी एवं प्रतिवादी की एक पैतृक कृषि भूमि खसरा संख्या 257, 258, 259 व 260 की क्रमशः 00–08, 09–01, 03–14, 00–13 बीघा कुल रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। इस कृषि भूमि का हम दोनो सगे भाईयो वादी एवं प्रतिवादी ने आधा–आधा हिस्सा प्राप्त करने का बंटवारा कर लिया है। जिससे हम दोनों सहमत है। उक्त वर्णित आपसी बंटवारा इस कृषि भूमि में स्थित कुंऐ में भी दोनो पक्षो का 1/2, 1/2 हिस्सा रहेगा। भविष्य में भी वादी प्रतिवादी को कुंऐ पर आने जाने एवं उपयोग–उपभोग में कभी कोई [illegible] वादी एवं प्रतिवादी मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। यह [illegible] द्वारा इस वाद में कोई विवाद शेष नहीं रह गया है और इस लिये [illegible] प्रति होकर हम वादी एवं प्रतिवादी वाद को आगे नहीं चलाना [illegible] कथन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:50:32 IST
Reason: SelfAttested

—3

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

चूंकि पत्रावली का अवलोकन करने पर राजीनामा मे वर्णित खसरा नंबरो एवं वर्तमान जमाबंदी अनुसार वादी व प्रतिवादी के हक हिस्से की कृषि भूमि के खसरा नंबरो मे भिन्नता है। वादी को प्रश्नगत आराजी मे 3/4 हिस्सा स्व0 वरदाजी की पत्नी कस्तु द्वारा उनके हक हिस्से की कृषि भूमि का विक्रय वादी के नाम से निष्पादित कराने से वादी को 3/4 हिस्सा प्रश्नगत आराजी में प्राप्त हुआ है। वादी यह साबित करने मे असफल रहा है कि प्रतिवादी ने वादी की आराजी पर कब्जा किया हो एवं राजीनामे मे स्वयं ने प्रश्नगत आराजी का 1/2–1/2 हिस्सा बाटने का कथन किया है। प्रतिदावे मे भी प्रतिवादी ने कोई ऐसा साक्ष्य या जमीनी दस्तावेज पेश नही किये है जिससे यह साबित हो सके कि वादी एवं प्रतिवादी दोनो का प्रश्नगत आराजी मे 1/2–1/2 हक हिस्सा बनता हो । ऐसी स्थिति मे मात्र प्रतिकूल कब्जे एवं राजीनामा के आधार पर प्रश्नगत आराजी का हिस्सा 1/2–1/2 नही किया जा सकता है। अतः वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा दोनो परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा दोनो अन्तर्गत धारा 91, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.21 **को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबू-पर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:30:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादी
श्री ओटाराम पुत्र श्री भीखाजी, जाति कुम्हार, निवासी संतपुर, तहसील आबूरोड		श्री अशोक कुमार पुत्र भीखाजी, जाति कुम्हार, निवासी संतपुर, तहसील आबूरोड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 91, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या 68/2013

दिनांक 03–02–2021

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री परवेज खान अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण श्री ओम प्रकाश कुमावत मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादी का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा दोनो अन्तर्गत धारा 91, 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।** खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे——×————मुतलिक————×————बाबत् ———×————

खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह————×————फीस दी सालाना आज की

तारीख से तारीख वसूलयाबी तक————×————को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 03–02–2021 को जारी की गई है।

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.02.24 09:50:32 IST
Reason: SelfAttested